भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1827
दिनांक 11 दिसम्बर, 2024/ 20 अग्रहायण, 1946 (शक) को उत्तर के लिए

कर्नाटक में साइबर अपराधों से सुरक्षा हेतु की गई पहल

1827 श्री जी.सी. चन्द्रशेखरः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या मंत्रालय ने डिजिटल धोखाधड़ी के मामलों में हाल ही में वृद्धि को देखते हुए, बेंगलुरु में साइबर अपराध का पता लगाने और इस पर प्रतिक्रिया में सुधार के लिए कोई विशेष अनुदान या सहायता प्रदान की है;

(ख) यदि हां,तो कर्नाटक की साइबर इकाइयों के साथ किसी कार्यक्रम या सहयोग का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या मंत्रालय ने कर्नाटक के शहरी केंद्रों में निगरानी और सुरक्षा बढ़ाने के लिए दिशा-निर्देश प्रस्तावित किए हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री बंडी संजय कुमार)

(क) से (ग) : भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार, 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अपनी विधि प्रवर्तन एजेंसियों के माध्यम से साइबर अपराध समेत अपराधों की रोकथाम करने, उनका पता लगाने, जाँच करने और अभियोजन चलाने के लिए प्राथमिक रूप से जिम्मेदार हैं। केंद्र सरकार, राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों की विधि प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए) के क्षमता संवर्धन के लिए उनके द्वारा किए जा रहे प्रयासों में एडवाइजरी और विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत वित्तीय सहायता के माध्यम से सहायता प्रदान करती है।

गृह मंत्रालय ने 'पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता' योजना के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को हथियार, इनफोर्मेशन प्रौद्योगिकी के लिए उपकरण, प्रशिक्षण, उन्नत संचार/फोरेंसिक उपकरण, साइबर पुलिसिंग उपकरण आदि के लिए केंद्रीय सहायता प्रदान की है।

राज्य सभा अता. प्र.स. 1827 दिनांक 11.12.2024

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारें साइबर अपराधों से निपटने सहित अपनी रणनीतिक प्राथमिकताओं और आवश्यकताओं के अनुसार कार्य योजनाएं तैयार करती हैं और इन कार्य योजनाओं पर मंत्रालय में उच्चाधिकार प्राप्त समिति (एचपीसी) द्वारा विचार किया जाता है। पिछले 05 वर्षों और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 'पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सहायता' की योजना के तहत कर्नाटक राज्य सरकार को जारी की गई धनराशि का उल्लेख नीचे किया गया है:

(रूपये करोड़ में)

वर्ष	जारी की गई धनराशि
2019-20	14.61
2020-21	9.14
2021-22	32.54
2022-23	4.7975
2023-24	7.635
2024-25	10.62 (दिनांक 04.12.2024 तक)

गृह मंत्रालय ने कर्नाटक राज्य को उनके क्षमता निर्माण, जैसे कि साइबर फोरेंसिक-सह-प्रशिक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना करने, जूनियर साइबर परामर्शदाताओं की नियुक्ति करने और विधि प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए) के कार्मिकों, लोक अभियोजकों एवं न्यायिक अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए 'महिलाओं और बच्चों के प्रति साइबर अपराध की रोकथाम (सीसीपीडब्ल्यूसी)' स्कीम के तहत 5.82 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है।

बेंगलुरु में सुरक्षा और सुरक्षा उपायों को बढ़ाने के लिए, बेंगलुरु सेफ सिटी प्रोजेक्ट के हिस्से के रूप में कई पहल की हैं, जो केंद्र प्रायोजित योजना है जिसकी कुल अनुमोदित लागत 667 करोड़ रुपये (केंद्रीय हिस्सा 400.2 करोड़ रुपये) है। इन उपायों में महिलाओं के लिए एकीकृत सहायता केन्द्र की स्थापना, 60 विभिन्न स्थानों पर महिला पुलिस चौकियों की स्थापना, 50 सुरक्षा द्वीपों, 04 साइबर प्रयोगशालाओं में, अपराध स्थल (एसओसी) किटों से सुसज्जित 08 फॉरेंसिक वैनों की खरीद और जीआईएस आधारित अपराध मानचित्रण का कार्यान्वयन शामिल है।

राज्य सभा अता. प्र.स. 1827 दिनांक 11.12.2024

साइबर अपराधों से निपटने के लिए समन्वय तंत्र एवं सहयोग को सुदृढ़ बनाने के लिए केन्द्र सरकार ने उपाय किए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

i. गृह मंत्रालय ने देश में सभी प्रकार के साइबर अपराधों से समन्वित और व्यापक ढंग से निपटने के लिए एक संबद्ध कार्यालय के रूप में 'भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र' (आई4सी) स्थापित किया है।

ii. महिलाओं और बच्चों के प्रति साइबर अपराधों पर विशेष बल देते हुए, सभी प्रकार के साइबर अपराधों से संबंधित घटनाओं की सूचना देने में जनता को समर्थ बनाने हेतु आई4सी के भाग के रूप में 'राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल' (https://cybercrime.gov.in) शुरू किया गया है। इस पोर्टल पर सूचित की गई साइबर अपराध की घटनाओं, उन्हें एफआईआर में बदलने और उन पर आगे कार्रवाई से जुड़े कार्य राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की संबंधित विधि प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा कानून के प्रावधानों के अनुसार किए जाते हैं।

iii. वित्तीय धोखाधड़ियों की तत्काल सूचना देने और धोखाधड़ी करने वालों के द्वारा निधियों की चोरी को रोकने के लिए वर्ष 2021 में आई4सी के तहत 'नागरिक वित्तीय साइबर धोखाधड़ी रिपोर्टिंग और प्रबंधन प्रणाली' शुरू की गई है। अब तक 9.94 लाख से अधिक शिकायतों में 3431 करोड़ रुपये से अधिक की राशि को बचाया गया है। साइबर शिकायतों को ऑनलाइन दर्ज करने में सहायता प्राप्त करने के लिए एक टोल-फ्री हेल्पलाइन नम्बर '1930' शुरू किया गया है।

iv. आई4सी में एक अत्याधुनिक साइबर धोखाधड़ी शमन केंद्र (सीएफएमसी) स्थापित किया गया है, जहां प्रमुख बैंकों, वित्तीय मध्यस्थों, भुगतान एग्रीगेटर्स, दूरसंचार सेवा प्रदाताओं, आईटी मध्यस्थों और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की विधि प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि साइबर अपराध से निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई और निर्बाध सहयोग के लिए साथ मिलकर काम कर रहे हैं।

v. राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र की पुलिस के जांच अधिकारियों (आईओ) को प्रारंभिक स्तर पर साइबर फॉरेंसिक में सहायता प्रदान करने के लिए, आई4सी के एक भाग के रूप में नई दिल्ली में अत्याधुनिक 'राष्ट्रीय साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला (जाँच)' स्थापित की गई है। अभी तक, साइबर अपराधों से संबंधित लगभग 11,203 मामलों की जाँच में मदद करने के लिए राष्ट्रीय साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला (जाँच) ने राज्यों/ संघ-राज्य क्षेत्रों की विधि प्रवर्तन एजेंसियों को अपनी सेवाएं प्रदान की हैं।

vi. साइबर अपराध की जांच, फॉरेंसिक, अभियोजन आदि के महत्वपूर्ण पहलुओं पर ऑनलाइन पाठ्यक्रम के माध्यम से पुलिस अधिकारियों/न्यायिक अधिकारियों के क्षमता निर्माण हेतु आई4सी के तहत 'साइट्रेन' पोर्टल नामक "वृहत ओपन ऑनलाइन कोर्स (एमओओसी)"प्लेटफॉर्म विकसित किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों के 98,698 से अधिक पुलिस अधिकारियों का पंजीकरण किया गया है और 75,591 से अधिक प्रमाण-पत्र जारी किए गए हैं।

vii. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की विधि प्रवर्तन एजेंसियों के बीच समन्वय संबंधी कार्यढांचे को सुदृढ़ करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को साथ लेकर साइबर अपराध संक्रेंद्रित स्थलों (हॉटस्पॉट)/ बहु-क्षेत्राधिकार संबंधी मुद्दों वाले क्षेत्रों के आधार पर, पूरे देश को कवर करते हुए मेवात, जामताड़ा, अहमदाबाद, हैदराबाद, चंडीगढ़, विशाखापत्तनम और गुवाहाटी के लिए सात संयुक्त साइबर समन्वय टीमों (जेसीसीटी) का गठन किया गया है। जेसीसीटी के लिए सात कार्यशालाएं हैदराबाद, अहमदाबाद, गुवाहाटी, विशाखापत्तनम, लखनऊ, रांची और चंडीगढ़ में आयोजित की गईं।

viii. समन्वय प्लेटफॉर्म को प्रचालनात्मक बनाया गया है जो साइबर अपराध संबंधी डेटा के आदान-प्रदान और विश्लेषण के लिए एलईएएस हेतु प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईईएस) प्लेटफॉर्म, डेटा भंडार और समन्वय प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करता है। यह विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में साइबर अपराध की शिकायतों में शामिल अपराधों और अपराधियों के अंतर्राज्यीय संबंधों पर आधारित विश्लेषण प्रदान करता है। मॉड्यूल 'प्रतिबिंब' अपराधियों और अपराध संबंधी अवसंरचना के स्थानों को मानचित्र पर प्रदर्शित करता है, ताकि क्षेत्राधिकारियों को इसकी जानकारी मिल सके। यह मॉड्यूल विधि प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा आई4सी और अन्य एसएमई (SMEs) से तकनीकी-कानूनी सहायता मांगने तथा प्राप्त करने की सुविधा भी प्रदान करता है।

*****